न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 109/2019

टीकूराम पुत्र मन्स्शा जाति मेघवंशी निवासी ग्राम दुदाना का बास डूमरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—वादी

बनाम

1. संजयकुमार पुत्र ईश्वरराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम दुदाना का बास तन डूमरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
2. उप पंजियक उप पंजियन शाखा मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रतिवादीगण

वाद :— घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा

वकील वादी— श्री सुरेन्द्र सिंह भर्रा
वकील प्रति0 —

निर्णय

निर्णय दिनांक 28.08.2019

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम दुदाना का बास पटवार हल्का डूमरा तहसील नवलगढ की सरहद में खाता सं0 21 के ख.न. 147/123 रकबा 0.60 है0 अवस्थित है। जिसको दावा में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। विवादित काश्त की भूमि का खातेदार काश्तकार वादी था। प्रतिवादी नं. 1 वादी के भाई का लडका है जिसकी वादी की काश्त की भूमि को हडपने की निगाह सदा से ही रही है। वह चतुर व चालाक व्यक्ति है। प्रतिवादी नं. 1 अपने विश्वास मे लेकर कहा कि आपको ग्राम दुदाना का बास में स्थित काश्त की भूमि ख.न. 147/123/ रकबा 0.60 है0 का किसान केडिट कार्ड बना कर मुकुन्दगढ बैंक से लोन दिलवा देता है। ऋण के रूपये लेकर आप अपनी काश्त की भूमि में पुख्ता मकान बना लेना वादी केवल साक्षर व्यक्ति है प्रतिवादी वादी का भाई का लडका होने के कारण उसके विश्वास में आ गया है और वादी ने प्रतिवादी को मुकुन्दगढ बैंक से ऋण लेने के लिये कहा। प्रतिवादी की सदा से ही उसकी काश्त की जमीन हडपने की नियत रही है। उन्होने वादी की विवादित जमीन के दान पत्र करवाने के दस्तावेज तैयार करवाये। प्रतिवादी नं. 1 ने वादी को दिनकि 28.03.2019 को सुबह 10.00 बजे कहा कि आपको उप तहसील मुकुन्दगढ में चलना है मेंरे पिताजी भी लोन ले रहे हैं। वो भी आज चल रहे हैं। तब वादी प्रतिवादी नं. 1 के साथ उपतहसील मुकुन्दगढ आया इसके पश्चात वादी का भाई ईश्वरराम गावं के ही राजपाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी दूदाना का बास के साथ आ गया। वादी को प्रतिवादी नं. 1 ने कहा कि चुडी चतुरपुरा बैंक में कागज तैयार करवा रखे हैं वहा से कागज लेकर आता है। वादी की फौटो खैंची और वादी से 8—10 कागजों पर हस्ताक्षर करवाये। तथा प्रतिवादी नं. 1 के पिता व राजपाल ने भी कुछ कागजो पर हस्ताक्षर किये। वादी ने दो तीन दिन बात प्रतिवादी नं. 1 से रूपयो के बारे में पूछा तो प्रतिवादी नं. 1 ने कहा कि मैने बैंक से काबज पूरे तैयार करवा रखे हैं। परन्तु मैनेजर साहब अचानक 15 दिन की छुट्‌टी पर चले गये हैं इस कारण उसके आने पर ही काम होगा। इसप्रकार प्रतिवादी नं. 1 ने वादी को अपने विश्वास में लेकर दिनांक 28.03.2019 को अपने पक्ष में दान पत्र तस्दीक करवाया है जो बिना सहसमसति के करवाया है जो शुरू से ही प्रभावहीन है। जिसका

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

12.04.2019 को नामा0 सं0 251 भूमि ख.न. 147/123 पर टीकूराम पुत्र मंशा की बजाय संजय ईश्वरराम दर्ज करवा लिया है।

प्रतिवादी नं. 1 ने वादी को दिनांक 07.05.2019 को उसकी कब्जाशुदा भूमि मं आकर एलानिया धमकी दी कि तुम इस जमीन से कब्जा हटाओ मैने आपसकी सारी जमीनल मेंरे नाम से करवा ली है वादी ने प्रतिवादी नं. 1 की सभी बाते अपने भाई सुखराम को बताई इसके पश्चात वादी व वादी का भाई सुखराम उप पंजीयन कार्यालय मुकुन्दगढ आये तथा वहां पर चाराजोही की तो वादी को दिनांक 09.5.2019 को उक्त दान पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई है वादी ने प्रतिवादी की इस गलत योजना के बारे में ग्राम के मौजीज व्यक्तियों व रिश्तेदारों को अवगत करवाया तो प्रतिवादी नं. 1 वादी को कहा कि मैने तो आपकी सम्पूर्ण काश्त की भूमि मेरे नाम सें से करवाली है अपने अपने मर्जी मुताबिक कुछ भी करूंगा जमीन को खुर्द बुर्द करूंगा। प्रतिवादी नं. 1 लोक सेवक है लोक सेवक के विरूद्ध न्यायालय मे दावा पेश करने से पूर्व 2 माह का विधिक नोटिस देना कानूनी आवश्यक है लेकिन मामला अति आवश्यक प्रकृति का है । वादी प्रार्थना पत्र अं.धारा 80(2) सीपीसी का पेशकर अनुमति लेकर यह दावा पेश कर रहा है।

अतः वादी का दावा वादी बहक प्रतिवादी डिक्री किया जाकर दिनांकि 28.03.2019 को वादी बहक प्रतिवादी दान पत्र को मनसुख करार दिया जावे तथा वादी को ग्राम दुदाना का बास में स्थित भूमि ख.न. 147/123/0.60 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ग्राम दुदाना का बास की भूमि ख.न 147/123 रकबा 0.60 है0 को खुर्द बुर्द न करें तथा कोई नवनिर्माण नही करे किसी वितीय संस्था से ऋण प्राप्त नही करें तथा प्रतिवादी नं. 2 को भी पाबन्द किया जावे कि उक्त भूमि से संबंधित कोई विक्रय पत्र तस्दीक नही करे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः शहादत वादी ली जाकर बहस वकील वादी सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम दुदाना का बास संवत 2075–78 के अनुसार भूमि ख.न. 147/123 रकबा 0.60 है0 की खातेदारी टीकू पुत्र मन्शा जाति मेघवंशी सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामा0 सं0 251 नि.दि. 14.04.2019 उपहार खं0सं0 147/123 पर टीकू पुत्र मन्शा से टीकू पुत्र मन्शा संजय कुमार पुत्र ईश्वरराम पर प्रकियाधीन है। इस संबंध में प्रस्तुत छाया प्रति गीफट डीड का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार टीकू पुत्र मन्शा जाति मेघवंशी द्वारा संजयकुमार पुत्र ईश्वरराम जाति मेघवंशी निवासी दूदाना का बास को भूमि ख.न. 147/123 रकबा 0.60 है0 को उपहार स्वरूप रजिस्टर्ड गीफ्ट डीड तस्दीक करवाई गई।

वादी स्वयं द्वारा प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में दिनांक 28.03.2019 को उप पंजियक कार्यालय मुकुन्दगढ के यहां रजिस्टर्ड गीफ्ट डीड तस्दीक करवाया गया है जिसका मन्सुख करवाने हेतु वादी द्वारा वाद पेश किया गया है। चूंकि वादी स्वयं द्वारा गीफ्ट डीड तस्दीक करवाया गया है। यदि प्रतिवादी नं. 1 ने किसी प्रकार की धोखा धडी की गई है तो सक्षम न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पेश करना चाहिये। उक्त तस्दीक शुदा गीफ्ट डीड के मन्सुख करवाने का प्रकरण सिविल प्रकृति का होने से सक्षम न्यायालय में वादी चारोजोई करने में सक्षम है। अतः वाद सिविल प्रकृति का होने से वाद वादी खारिज किया जाता है।

आदेश

वाद वादी सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारी लाल)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

वाद :– घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:–109/2019 **(टीकूराम बनाम संजयकुमार आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.08.2019 निर्णय अनुसार वाद वादी सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है।

जिन...........–.................... मुबलिग...........–............बाबत......–.................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–.........................फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 28 माह 08 सन..2019. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	02.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned by CamScanner